राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– निपेवि / लेखा / बजट / 2019–20 702 दिनांकः– 11/11/19.

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

विषय :– मदशीर्ष 2071–01–115–01–01 सेवानिवृति पर छुट्टी नकदीकरण हित के बजट बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019 के बिन्दु संख्या 7 व 8 के अनुसार सेवानिवृत कार्मिक के पीपीओ का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरान्त पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा संबंधित कार्यालय की आई.डी. में सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट IFMS मोड्यूल पर आवंटित किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान पीपीओ नं. Fatch कर एवं बिल में उपयोग कर बिल भुगतान हेतु संबंधित कोषालय को प्रेषित किया जायेगा।

अतः निम्न प्रारूप में मदशीर्ष 2071–01–115–01–01 में बजट आवंटन की मांग संबंधित जोन कार्यालय पेंशन विभाग / निदेशालय को (जयपुर जोन के कार्यालय) प्रेषित करावें:–

क्र. सं.	कार्यालय की आई.डी. संख्या	कर्मचारी के पीपीओ नं.	कर्मचारी का नाम एवं आई.डी.	वांछित राशि

माह अप्रैल, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक उक्त मद में व्यय की गई राशि ....

भवदीय

(सुल्तान सिंह)
निदेशक